न्यायालय कलक्टर (आर्बीट्रेटर)नेशनल हाईवे अजमेर

प्रकरण संख्या 75/2013

मण्डल वन अधिकारी, वनमण्डल, वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर

प्रार्थी

बनाम

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, ए–11, चन्द्रा–किरण, रीको हाऊसिंग कॉलोनी, ब्यावर (अजमेर)

अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 3 (जी)(5) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम 1956 बाबत् कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अजमेर का अवार्ड दिनांक 03.03.2011

उपस्थितः–

1. श्री शुभकरण सिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक
2. श्री आर. पी. शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक – 28.12.2016

दावा :– प्रार्थी की ओर से पूर्व में न्यायालय आर्बीट्रेटर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 62/2011 आदेश दिनांक 2.4.2012 से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को प्रकरण तथ्यों का विधिवत पुनः परीक्षण कर विधि सम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिए गये थे। किन्तु प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकारी, अजमेर द्वारा बिना साक्ष्य सबूत व विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना "पारित अवार्ड दिनांक 19.11.2009 में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण निरस्त किया जाता है।" आदेश दिनांक 18.6.2013 को पारित कर दिया जो माननीय न्यायालय के आदेशर दिनांक 2.4.2012 व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वन विभाग की ओर से गंगा सिंह सहायक वन सरंक्षक की उपस्थिति दर्ज की जाकर अवाप्ति अधिकारी द्वारा आदेश मुतनाजा पारित किया, जबकि उनके द्वारा कोई सहमति नही दी गई। सहायक वन सरंक्षक द्वारा राजकीय अधिवक्ता द्वारा ही पैरवी करने एवं विशेषज्ञ की रिपोर्ट मगंवाना, मौका मुआयना करवाने आदि न्यायिक प्रकिया हेतु समय चाहा गया था, जिसे अस्वीकार कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। वन पौधशाला बावडी रेंज किशनगढ वन मण्डल अजमेर के नियंत्रण में होकर निर्धारित क्षमता 5 लाख पौध प्रति वर्ष तैयार करने की थी। पौधशाला में पानी स्त्रोत बावडी जिसमें 24 घण्टे प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध था। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने वन

28/12/16

कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नैशनल हाइवे, अजमेर

Scanned by CamScanner

पौधशाला बावडी में पूर्व स्थापित निर्माणों का बहुत कम आंकलन केवल मात्र 5,65,301/– राशि का किया जो न्याय संगत नहीं है वन पौधशाला बावडी में पूर्व स्थापित निमार्ण की वर्तमान बाजार दर राशि निम्नानुसार होने से उसी अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित करनी थी :–

क्र. सं.	निर्माण वस्तु	राशि(वर्तमान बाजार से तय राशि) (लाखों में)
1	पक्की दीवार	9.00
2	एनीकट	4.70
3	कमरे दो 7.10X4.70	2.50
4	कमरे दो 5.80X2.90	1.80
5	कुआ(बावडी)	4.00
6	पक्की ड्रेनेज लाईन(धोरे)(360 आर.एम.टी.)	3.60
7	पक्के बेड	0.37
8	कच्चे बेड(लेवलिंग सहित)	1.65
8.1	मदर बेड	1.94
9	झोपा पक्का फर्श सहित	0.30
10	पानी का हौज 1.50 X1.55	0.17
11	पानी का हौज 3.8 X0.90	0.35
12	पूर्वस्थापित नर्सरी में पौधों का स्थानीय परिवहन(80000)	0.80
13	सम्पूर्ण नर्सरी का ले–आउट प्लॉन सहित मय विद्युत कनेक्शन व विद्युत मोटर सहित	2.00
	योग	33.18

अवाप्त भूमि का तय शुदा मुआवजा का भुगतान नहीं किया, चारदीवारी, फैंसिंग, निर्माण वृक्षों का मुआवजा तय नहीं किया व भूमि ख.नं. 1452/1 में से कुल रकबा 1.6997 हैक्टर अवाप्त हुआ है जिसकी वाणिज्यिक दर 3.50 लाख प्रति बीघा से 37.17 लाख व निर्माण का 33.18 लाख कुल 70.35 लाख देय होता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित पूर्व निर्णय स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र अनुसार 33.18 लाख मुआवजा देय होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुआवजा राशि रूपये 33.18 लाख का भुगतान प्रार्थी को करवाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि :–

<u>प्रतिरक्षण :–</u> प्रार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर ही आदेश दिनांक 18.6.2013 पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। प्रार्थी द्वारा पुनः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार पौधशाला में प्रति वर्ष 5 लाख पौधे तैयार करने के कथन काल्पनिक है। अवाप्त शुदा भूमि पर कुआ(बावडी) का लोक निर्माण

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नैशनल हाइवे, अजमेर

Scanned by CamScanner

विभाग की प्रचलित दरों(स्टेण्डर्ड आर्डर) अनुसार प्रार्थी को अदा किया जा चुका है जो मुआवजा भूमि अवाप्ति द्वारा आंकलन किया है वह विधि अनुरूप होने से इसमें हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है अवाप्त भूमि बाबत् भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा सक्षम अधिकारी से दिनांक 15.07.2010 को स्वीकृति दी जा चुकी है शेष भूमि अवाप्ति प्राधिकृत अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा एन.एच.एक्ट के तहत विधिक प्रक्रिया अपना कर अवाप्त की जाने पर निर्माण कार्य जारी है। अवाप्त शुदा भूमि शासकीय भूमि है इस बाबत् जिला कलक्टर द्वारा लैण्ड बैंक से प्रार्थी को भूमि दे दी गई है तथा भारत सरकार के पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा भी इसकी स्वीकृति दे दी गई है ऐसी स्थिति में अब कोई मुआवजा अदा करना शेष नहीं रहता है। अवाप्त शुदा भूमि पर खडे स्टेक्चर का मुआवजा पी.डब्ल्यू.डी. की दरों अनुसार अदा कर दिया। प्रार्थी दिनांक 15.07.2010 की स्वीकृति के बाद किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के अधिकारी नहीं है। 80.36 हेक्टर वन भूमि एवं उस पर स्थित 3473 पेडे के मुआवजा बाबत् भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति आदेश 8बी/राज./06/57/2008/एफ.सी./1250 दिनांक 4.12.2009(संलग्नक–2) एवं 269 दिनांक 21.05.2010(संलग्नक–3) की शर्तों अनुसार यूजर ऐजेन्सी(भाराारा प्रा) द्वारा दिनांक 11.01.2010 को 2,21,25,191/– एवं दिनांक 3.06.2010 को 3,76,70,176/– कुल 5,97,95,367/– वन विभाग में जमा कराये गये जिसकी पुष्टि मण्डल वन अधिकारी अजमेर के पत्रांकः–एफ.14( )एफसीए./मवअ./487 दिनांक 4.02.2010 (संलग्नक–4) एवं 7578 दिनांक 21.06.2010 (संलग्नक–5) द्वारा की गई है भाराराप्रा द्वारा 20.184 हैक्टर राजकीय भूमि की कीमत 15,23,667/–रूपये दिनांक 19.01.2010 को राजकोष में जमा कराने के बाद अधिसूचित वन भूमि 20.184 हैक्टर के समतुल्य गैर वन भूमि कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांकःकअ/राजस्व/एफ.12 (सी) 10/13 दिनांक 18.02.2010 (संलग्नक–6) द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी है जिसका नामान्तरकरण भी वन विभाग के पक्ष में हो चुका है एवं भारत सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से विधिवत स्वीकृति आदेश क्रमांकः 8बी/राज/06/57/2008/एफ.सी/1821 दिनांक 24.02.2010 के क्रियान्वयन के निर्देश पत्र क्रमांकः8बी/राज/06/57/2008/एफ.सी/454 दिनांक 15.07.2010 द्वारा जारी कर दिऐ हैं (संलग्नक–7) अतः प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) के द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कतई आवश्यकता नहीं हाने से प्रार्थी का पुनः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रतिरक्षण में प्रस्तुत जवाब कथनों के आधार पर मुख्यतः वाद बिन्दू तय किये गये।

वाद बिन्दू :–

- प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अजमेर के द्वारा बिना साक्ष्य सबूत व विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त किये पारित आदेश दिनांक 18.6.2013 काबिले निरस्त है ?
- आया प्रार्थी ग्राम किशनगढ के खसरा नं0 1452/1 में से अवाप्त भूमि कुल रकबा 1.6997 हैक्टयर का वाणिज्यिक दर से 37.17 लाख तथा वन पौधशाला बावडी की

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नैशनल हाइवे, अजमेर

Scanned by CamScanner

भूमि में पूर्व स्थापित निमार्ण का मुआवजा 33.18 लाख कुल राशि 70.35 लाख प्राप्त करने का अधिकारी है ?

- अवाप्त शुदा भूमि एवं उस पर बने निमार्ण, कुआ (बावडी) बाउन्ड्रीवाल एवं अन्य निमार्णो का मुआवजा नियमानुसार अदा कर दिया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा अपने दावे/प्रतिरक्षण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा वाद बिन्दुओ को तय किये जाने का प्रयास किया गया।

आपसी सहमति :– माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाही के तहत कायम वाद बिन्दुओं पर आपसी सहमति बनाये जाने के प्रयास के तहत उभय पक्ष को आमने सामने बिठाकर सुलह का प्रयास करवाया गया। उभय पक्ष में इस दौरान किसी भी बिन्दू पर सहमति नहीं बन पाई।

उपस्थित उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को प्रकरण में गुणावगुण पर विनिश्चय करने के लिए सहमति प्रकट करते हुए आदेश पारित करने के आग्रह पर उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वाद बिन्दूवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

- प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अजमेर के द्वारा बिना साक्ष्य सबूत व विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त किये पारित आदेश दिनांक 18.6.2013 काबिले निरस्त है।

प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति), अजमेर द्वारा कलक्टर (आर्बीट्रेटर) अजमेर के आदेश दिनांक 2.4.2012 की पालना में उभय पक्ष को सुनवाई हेतु नोटिस पत्र क्रमांक 437 व 438 दिनांक 6.6.2013 जारी किये जाने पर ही नियत तिथि को वन विभाग की ओर से श्री गंगासिंह सहायक वन संरक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रांक 4874 दिनांक 7.4.2011 के द्वारा प्रस्तुत एस्टीमेट अनुसार शेष राशि शीघ्र दिलवाये जाने का निवेदन किया गया है। एन.एच.आई की ओर से भी जवाब पेश किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा तीन प्रश्न बिन्दु निर्धारित कर बिन्दुवार निर्णय पारित किया गया है। बिन्दू सं0 2 व 3 के निर्णय में वन विभाग ने तकनीकी विशेषज्ञ का सर्वे एवं मूल्यांकन अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया जाने का उल्लेख किया गया है। इससे जाहिर है कि प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति), अजमेर द्वारा उभय पक्ष को साक्ष्य, सबूत व विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाकर ही आदेश दिनांक 18.6.2013 पारित किया गया है।

- आया प्रार्थी ग्राम किशनगढ के खसरा नं0 1452/1 में से अवाप्त भूमि कुल रकबा 1.6997 हैक्टयर का वाणिज्यिक दर से 37.17 लाख तथा वन पौधशाला बावडी की भूमि में पूर्व स्थापित निमार्ण का मुआवजा 33.18 लाख कुल राशि 70.35 लाख प्राप्त करने का अधिकारी है ?

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नैशनल हाइवे, अजमेर

Scanned by CamScanner

- अवाप्त शुदा भूमि एवं उस पर बने निमार्ण, कुआ (बावडी) बाउन्ड्रीवाल एवं अन्य निमार्णो का मुआवजा नियमानुसार अदा कर दिया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

अवाप्त शुदा भूमि शासकीय भूमि है। राजस्व अभिलेख में भूमि सरकारी/चारागाह दर्ज है। भूमि वन विभाग के नाम दर्ज नहीं होने से वन विभाग का भूमि बाबत दावा-अमान्य है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 15.7.2010 से वृक्षारोपण स्वीकृति के बाद प्रार्थी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं है। अवाप्त शुदा भूमि पर खडे स्टेक्चर का मुआवजा पी.डब्ल्यू.डी. की दरों अनुसार मूल्यांकन कर राशि 5,65,301/– का भुगतान जरिये चैक सं0 353602 दिनांक 03.03.2011 द्वारा प्रार्थी को अदा किया गया। अतः उपरोक्त दोनो वाद बिन्दु विरूद्ध प्रार्थी तय किये जाते है।

इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तिम विनिश्चय हेतु उपरोक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर (आर्बीट्रेटर), अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 2.4.2012 से रिमाण्ड किया गया जिस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार उभय पक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वन मण्डल अधिकारी, अजमेर का दावा आदेश दिनांक 18.6.2013 द्वारा गुणावगुण पर खारिज किया गया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित दावे को सिद्ध कराने में असफल रहे है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य ठहराया जाता है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से पुनः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 में अन्य कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं हुए है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश दिनांक 18.6.2013 में किसी प्रकार की कानूनी त्रूटि होना भी प्रकट नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र (दावा) प्रार्थी खारिज किया जाकर प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.6.2013 यथावत रखा जाता है। आदेश प्रति प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति) को प्रेषित हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नेशनल हाईवे अजमेर

Scanned by CamScanner